

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -1 खंड - 3 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 05 सितम्बर, 2016

### संकल्प

संख्या: 02(अ)

सं.1(7)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं)

1. भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संकल्प संख्या 1/1/2013-ई.111(ए) के तहत किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को सौंप दी थी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ सशस्त्र सेना कार्मिकों की परिलब्धियों, भत्तों की संरचना और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया था। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों (पीबीओआर) से संबंधित इन मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि रक्षा कार्मिकों की इन श्रेणियों के संबंध में उपर्युक्त मामलों पर आयोग की सिफारिशों को निम्नानुसार स्वीकार किया जाएगा। रक्षा कार्मिकों (पीबीओआर) के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

(i) संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन 01.01.2016 से किया जाएगा ;

(ii) वेतन संबंधी मामला ;

(क) रक्षा बलों के कार्मिकों हेतु वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को अनुबंध-11 पर उल्लिखित एक पृथक वेतन मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा करते हुए किया जाएगा।

**टिप्पणी-1** 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में, 31.12.2015 को संशोधन पूर्व वेतन संरचना में मौजूदा वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के ग्रेड वेतन के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा ; अथवा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।

**टिप्पणी 2** उपर्युक्त टिप्पणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन निर्धारण के पश्चात बाद की वेतनवृद्धियां, उसी लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।

(iii) पीबीओआर के सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) में 2000/-रुपए से 5200/-रुपए प्रतिमाह की वृद्धि । एमएसपी की गणना केवल मंहगाई भत्ते और पेंशन भत्तों के उद्देश्यों के लिए की जाएगी ;

(iv) विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाय वेतनवृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी नामतः प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई । तथापि, नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा ;

(v) भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशें वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सौंपी जाएगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर किया जाता रहेगा मानों कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही नहीं किया गया हो, यथास्थिति बनी रहेगी ;

(vi) वेतन के बकायों का भुगतान चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा ;

(vii) ऐसी सिफारिशें जिनका वेतन तथा भत्तों से संबंध नहीं है तथा विभाग/संवर्ग/पद संबंधी अन्य विशिष्ट प्रशासनिक मुद्दों की जांच कार्य संव्यवहार नियमावली/कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार अलग से की जाएगी ।

2. वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धियों के संबंध में अन्य अनुदेश, जिनको इन अनुदेशों में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी के अनुसार होंगे ।

3. सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के पीबीओआर के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर तदनुसार लिए गए निर्णय इस संकल्प के अनुबंध-1 पर विवरण में दर्शाए गए हैं । पीबीओआर हेतु लागू नया वेतन मैट्रिक्स अनुबंध-11 पर दिया गया है ।

वी० आनंदराजन

(वी. आनंदराजन)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-1

सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों (पीबीओआर) के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय और पैराग्राफ से संबंधित हैं) ।

| क्र. सं. | सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें   | सरकार का निर्णय  |
|----------|---|--|
| 1.       | <p><b>फिटमेंट गुणांक :</b> सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने वेतन बैंड में फिटमेंट निम्नलिखित तरीके से लगाने की सिफारिश की है:-</p> <p>नए मैट्रिक्स में फिटमेंट आवश्यक रूप से 2.57 के एक बहुगुण गुणांक में होगा । यह बहुगुण आयोग द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन तथा मौजूदा न्यूनतम वेतन का अनुपात है । फिटमेंट गुणांक को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जा रहा है । इसमें महंगाई भत्ता स्थिरीकरण के लिए 2.25 का गुणांक शामिल है, यह मानते हुए कि 01.01.2016 को नए वेतन के कार्यान्वयन के समय महंगाई भत्ते की दर 125 प्रतिशत होगी । आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वास्तविक वृद्धि/फिटमेंट 14.29 प्रतिशत है । सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी), जो रक्षा सेनाओं के कार्मिकों पर ही लागू है, की मौजूदा दरों में 2.57 का एकसमान गुणांक भी लागू होगा ।' (पैरा 5.2.7)</p> | <p>न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणांक, पुनर्गठन सूचकांक, वेतन मैट्रिक्स के संबंध में और वेतन के संबंध में आयोग की आम सिफारिशें, जहां तक पीबीओआर को प्रभावित करती हैं, किसी बड़े परिवर्तन के बगैर स्वीकार की गई ।</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 2. | <p>वेतन वृद्धि की दर: वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3 प्रतिशत ही बनाए रखा गया है। (पैरा 5.1.38)</p>  | <p>विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के वजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होगी, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। तथापि, नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा।</p> |
| 3. | <p><u>अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए सैन्य सेवा वेतन :</u><br/> रक्षा सेनाओं के कार्मिक, उपर्युक्त मैट्रिक्स के अनुसार अपने वेतन के अलावा बियेडियर तथा उनके समकक्षों के रैंक तक तथा उनको शामिल करते हुए सैन्य सेना वेतन के भुगतान के लिए पात्र होंगे। आयोग रक्षा सेनाओं के कार्मिकों के लिए जेसीओ/ओआर हेतु 5,200 रुपए एमएसपी की सिफारिश करता है।<br/> महंगाई भत्ते तथा पेंशन के आकलन के लिए भी एमएसपी को मूल वेतन के रूप में गिना जाना जारी रहेगा। तथापि, मकान किराया भत्ता, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान तथा वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए सैन्य सेना वेतन को हिसाब में नहीं रखा जाएगा। (पैरा 5.2.22)</p> | <p>सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) की दर स्वीकार्य है। तथापि, एमएसपी केवल महंगाई भत्ते (डीए) तथा पेंशन के लिए ही गिना जाएगा।</p>  |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 4. | <p>समूह 'एक्स' वेतन : आयोग की सिफारिश है:-</p> <p>क) समूह एक्स में जेसीओ/ओआर के लिए एक्स वेतन 6200 रुपए प्रतिमाह है : ऐसे सभी एक्स ट्रेडों के लिए जिसमें एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमे के समकक्ष योग्यता प्राप्त किया जाना शामिल है । यह राशि वेतन स्तर 6 (VI) केन्द्रीय वेतन आयोग की 4200 रुपए ग्रेड वेतन के अनुसार), तथा वेतन स्तर 5 (VI) केन्द्रीय वेतन आयोग की 2800 रुपए ग्रेड वेतन के अनुसार) के न्यूनतम का अन्तर है । (पैरा 6.2.88)</p> <p>ख) समूह एक्स में जेसीओ/ओआर के लिए एक्स वेतन 3600 रुपए प्रतिमाह है : (मौजूदा एक्स वेतन 1,400 रुपए के 2.57 का मानक फिक्टमेंट) ऐसे कार्मिकों के लिए जो वर्तमान में एक्स वेतन में हैं परन्तु उनके पास एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त तकनीकी योग्यता नहीं है । (पैरा 6.2.88)</p> | स्वीकृत । |
| 5. | <p>ऑनरेरी कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए वेतनमान : ऑनरेरी कमीशन के मौजूदा संरचना को ध्यान में रखकर आयोग सिफारिश करता है कि जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों की पदोन्नति ऑनरेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरेरी कैप्टन के पद पर होने पर उन्हें क्रमशः वेतन स्तर 10 तथा वेतन स्तर 10बी में रखा जाएगा । इसके अलावा, उन्हें सभी कमीशनप्राप्त अफसरों को देय सैन्य सेवा वेतन के समान 15,500 रुपए प्रतिमाह सैन्य सेवा वेतन दिया जाएगा । (पैरा 6.2.92)</p>  | स्वीकृत । |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 6. | <p>डीएससी कार्मिकों को एमएसपीपी के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाना : चूंकि रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक सेना के अन्तर्गत आने वाले कार्मिक हैं, उन्हें एमएसपीपी के लाभ की भी अनुमति दी जाएगी । तथापि, यह लाभ नियमित नियुक्ति के दौरान तथा रक्षा सेवा कोर के कार्मिक के रूप में पुनर्नियोजन के दौरान, समग्र सेवा कैरियर में कुल मिलाकर 3 अपग्रेडों तक सीमित होगा । जैसाकि वे रक्षा सेनाओं के कार्मिक हैं, एमएसपीपी का लाभ उन्हें, पदोन्नति न मिल पाने की स्थिति में उनके पुनर्नियोजन की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के बाद दिया जाएगा । (पैरा 6.2.98)</p> | स्वीकृत । |
| 7. | <p>गैर-योधी (एनरोल्ड) की वेतन संरचना : आयोग गैर-योधी (एनरोल्ड) के लिए योधियों के 70 प्रतिशत की दर पर एमएसपीपी की सिफारिश करता है । तदनुसार, आयोग वायुसेना के गैर-योधी (एनरोल्ड) के लिए एमएसपीपी की मौजूदा दरों को 1,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,600 रूपए प्रतिमाह किए जाने की सिफारिश करता है । (पैरा 6.2.100 तथा 6.2.101)</p>   | स्वीकृत । |